न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 188/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. राजेन्द्रसिंह पुत्र नीबसिंह 2. श्रीमती ओमकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह 3. प्रहलादसिंह पुत्र राजेन्द्रसिह निवासी– बांगडी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		1. उम्मेदसिंह पुत्र नींबसिंह 2. नित्यपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 3. कृष्णपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 4. शिवप्रतापसिंह पुत्र उम्मेदसिंह निवासी– बांगडी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर जिला पाली के द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2019 अनवान उम्मेदसिंह वगैराह बनाम राजेन्द्र सिंह वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री महावीरसिंह राठौड, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 21 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बांगडी के ख0सं0 401 रकबा 1.85 हैक्टर, ख0सं0 6 रकबा 6.25 हैक्टर भूमि के अडो–अड राजेन्द्रसिंह, उनकी पत्नि व पुत्र के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं 402 रकबा 4.40 हैक्टर व ख0सं0 5 रकबा 5 रकबा 7.54 हैक्टर आई हुई है। अपीलान्ट राजेन्द्रसिंह व उम्मेदसिंह दोनों भाई है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजात अध्ययन किये, विधि के न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाने जाने बाबत उक्त आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि का सीमाज्ञान हुए बिना पत्थरगढी करवाने का आदेश जारी कर दिया, जबकि सर्वप्रथम सीमाज्ञान होने के उपरान्त ही पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलान्ट के द्वारा पेश किया काउन्टर क्लेम को बिना निस्तारण किये, सीधे मैरिट पर प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण कर दिया जो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 418, 419 दोनों के संयुक्त खाते में है तथा ख0सं0 400 गैर मुमकीन रास्ता भी संयुक्त खाते में होना चाहिये थे, परन्तु सैटलमेन्ट ने भूल से ख0सं0 400 गैर मुमकीन रास्ते को रेस्पो0 के खाते में दिया जबकि ख0सं0 400 गैर मुमकीन रास्ता मुख्य रास्ते से निकलते हुए अपीलान्ट की खातेदारी खसरान भूमि 415 में मिलता है तथा ख0सं0 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 में जाने का एक मात्र रास्ता है जो रेस्पो0 द्वारा खातेदारी होने से आधा रास्ता

रोक लिया है, आधे रास्ते में फाटक लगाकर ताला लगाया है, तथा रास्ते में रेस्पोडेन्टस अडचन पैदा करते है, परन्तु इन तथ्यों की ओर से ध्यान दिये बिना ही बिना दस्तोवज अध्ययन किये विधि से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो खारिज किया जावे तथा पत्रावली को पुनः गुणावगुण पर सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वादग्रस्त खसरान भूमि की अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही करवाने से पूर्व अपीलान्टस की उपस्थिती में सीमाज्ञान करवाया गया जा चुका है। उक्त मौका फर्द पर अपीलान्टस के भी हस्ताक्षर किये गये थे। दिनांक 17.6.2022 को दोनों पक्षों की उपस्थिती में सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित हुई है। अपीलान्ट के द्वारा झूठे व बेबुनियाद कथन अपील में प्रकट किये है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधिनस्थ न्ययालय के समक्ष धारा 111, 128, 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र 12/2019 पेश किया तथा कथन किया था कि उनके खेत खसरान की कृषि भूमि पारिवारिक बंटवाडा में मिली हुई है तथा अपीलान्ट व रेस्पो0 भाई है। तथा भूमि पर खेतों पर मौके पर कच्ची माठ है जिस पर कोई पत्थरगढी या तारबन्दी की हुई नहीं है तथा उनके मध्य माठ को लेकर विवाद होता रहता है जिनकी माठ का सही सीमाकंन कर पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते है। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें बताया कि ख0सं0 401 व 402 तथा 5 व 6 के अलावा भी अन्य ख0सं0 398, 397, 396 रेस्पोडेन्ट के तथा ख0सं0 415, 416, 417 अपीलान्टस की खातेदारी भूमि है जिनके मध्य भी पत्थरगढी व तारबन्दी करना आवश्यक है। ख0सं0 418, 419 संयुक्त खाते है तथा ख0वं0 400 गै0मु0रास्ता भी संयुक्त खाते में होना चाहिये था। अपीलान्टस ख0सं0 400 संयुक्त खाते में दर्ज करवाकर सीमांकन करवाना चाहते है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस की ओर से पेश जवाब का प्रत्युतर रेस्पो0 के द्वारा पेश किया जिसमें अपीलान्टस के द्वारा ख0सं0 400 रकबा 0.24 हैक्टर पुराने ख0सं0 189 से बनने व ख0सं0 489 में से ही प्रार्थी व अप्रार्थी यानि उम्मेदसिंह व राजेन्द्रसिंह को जरिये रजिस्ट्री देने का लिखा जो गलत है। ख0सं0 400 रेस्पो0 के स्वामित्व की भूमि एवं उनके हिस्से की भूमि है। इस प्रकर रेस्पो0 के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कार्यालय से जवाब प्राप्त किया जिसमें मौका बांगडी के ख0सं0 401 रकबा 1.85 हैक्टर, ख0सं0 6 रकबा 6.23 हैक्टर भूमि को रेस्पो0 की खातेदारी की तथा ख0सं0 5 रकबा 7.54 हैक्टर व ख0सं0 402 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि अपीलान्टस की खातेदारी में बताई तथा पक्षकारान की भूमि के मध्य की सीमा का सही सीमांकन कर पत्थरगढी करना विधि अनुरूप बताया एवं नक्शा लटठा में अलग से तरमीम हो रखी बताई। तत्पश्पात अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हए ख0सं0 401 रकबा 1.85 हैक्टर

6.25 हैक्टर का वर्तमान रबी फसल कटने के बाद मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये गये जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया जावे एवं अपीलधीन आदेश उचित एवं विधि अनुकूल पारित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रकरण में तहसील कार्यालय से जवाब प्राप्त करने के उपरान्त ही वादग्रस्त खेत खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पत्थरगढी सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है एवं तदनुसार ही मौके पर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर